ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः–3प/मु०मं०नि०यो०–19–29/2021/7938/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 17/8/2022

विषयः– जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा मांगी गयी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत चयनित प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी को पंचायत स्तर से भुगतान करने की अनुमति के संबंध में।

प्रसंगः– जिला पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक–569, दिनांक–19.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी, लखीसराय के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत चयनित प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी को पंचायत स्तर से भुगतान करने हेतु विभागीय मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

वर्णित परिपेक्ष्य में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत विभागीय दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति संकल्प संख्या–2935, दिनांक–22.06.2021 द्वारा परिचारित का संदर्भ लिया जाय। उक्त संकल्प की कंडिका–7 में अनुरक्षण हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को क्रमशः अनुरक्षक एवं जलापूर्ति योजना के अनुरक्षण हेतु दो–दो हजार रूपये प्रतिमाह एवं उपभोक्ता शुल्क की 50–50 प्रतिशत राशि के व्यय का प्रावधान अंकित है। साथ ही संकल्प की कंडिका–7(क)(iv) में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में रू 24000 वार्षिक अनुदान अलग से दिये जाने का प्रावधान वर्णित है।

पुनः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–27(स्वी०) दिनांक–13.09.2021 की कंडिका–2 में वित्तीय वर्ष 2021–26 तक पाँच वित्तीय वर्ष हेतु 15वें वित्त आयोग की टाईड मद की 30 प्रतिशत राशि को Supply of Drinking water, Rain water harvesting & water recycling में खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। साथ ही कंडिका–3(i) एवं 5(ब) में ग्राम पंचायत द्वारा टाईड अनुदान की 30 प्रतिशत राशि को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षण एवं रख–रखाव हेतु सार्वजनिक कुआँ का जीर्णोद्धार एवं छठ घाट का निर्माण में व्यय करने का प्रावधान दिया गया है।

इसी प्रकार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–58(स्वी०) दिनांक–11.03.2022 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुरक्षण नीधि से प्लम्बर कार्य, पेयजल पाईप लाईन एवं फिटिंग्स आदि संबंधी मरम्मति एवं उनका रख–रखाव करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस मद की सामान्य निधि की राशि को भी पेयजलापूर्ति में व्यय करने का प्रावधान दिया गया है।

यथा उपर्युक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में अनुरोध है कि प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेन्सी को भुगतान किये जाने से संबंधित अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त

विश्वासभाजन

17/8/22

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

कृ०पृ०उ०....

ज्ञापांक–3प/मु०मं०नि०यो०–19–29/2021/7938/पं०रा० पटना, दिनांक 17/8/2022

प्रतिलिपि–सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8/22

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

बिहार सरकार
समाहरणालय, लखीसराय
(जिला पंचायत शाखा)

Email : dpro-la-bih@nic.in
Fax : 06346-232767
Tel : 06346-232124

(244)

पत्रांक– 569 /पं0शा0, दिनांक– 19.05.22

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत योजना के रख–रखाव हेतु चयनित प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेन्सी को पंचायत स्तर से भुगतान करने के संबंध में मार्गदर्शन देने के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक– 2573, दिनांक– 15.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में लखीसराय जिलान्तर्गत कुल 6 (छः) प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेन्सी का चयन किया गया है। विदित हो कि पेयजल अनुरक्षण नीति के तहत पेयजल योजना में आने वाली त्रुटियों को ठीक कराने के लिए संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से मरम्मति कराना है तथा पेयजल योजना को सुचारू रखना है। उल्लेखनीय है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा प्रत्येक लाभुक परिवार से 30/– (तीस) रूपया प्रतिमाह वसूली करना है, उसी राशि से मरम्मति का कार्य कराना है, लेकिन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा राशि वसुली कार्य में कोई रूची नहीं ली जाती है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी अनुदानित राशि से ही मरम्मति कार्य किया जा रहा है। चूंकि मरम्मति की राशि ग्राम पंचायत मुखिया के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को हस्तांतरित की जाती है, जिसके कारण अनुरक्षण कार्य काफी विलंबित हो जा रही है।

वर्तमान में भीषण लू एवं पेयजल की आपदा को देखते हुए प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी को ससमय भुगतान होना आवश्यक है, ताकि मरम्मति कार्य आसानी से कराया जा सके। सभी तकनीकी सहायक के द्वारा भी प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी को पंचायत स्तर से ही भुगतान कराने का अनुरोध किया गया है। ग्राम पंचायत से भुगतान होने की स्थिति में सरकारी राशि को त्वरित गति से आपदा की स्थिति में उपयोग कर पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी को पंचायत स्तर से भुगतान कराने के बिन्दु पर अनुमति देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी
लखीसराय।